न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी– रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
93 / 2023 प्रा.पत्र / 2023	05.09.2023	20.03.2025

सत्यनारायण गुर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

.....प्रार्थी

बनाम

1–श्री जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन निवासी कोतवाली रोड चौथ का बरवाड़ा जिला सवाई माधोपुर राज0 एफ.बी.ओ. मैसर्स रतन लाल जितेन्द्र कुमार जैन मेन बाजार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर। पिनकोड–322702 मोबाईल नं. 9667541711
सैम्पल टेकन ऐट वाहन संख्या आरजे 08 सीबी 1567 मारूति ईको स्थानः–पक्का बन्धा एनएच–12 बायपास टोंक राज0।

.....अप्रार्थी

जुर्म अन्तर्गत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii), (V)एवं दण्डनीय धारा 51,52 व 58 (सहपठित धारा 49)

उपस्थित–
1–पेरोकार सरकार।
2–अभिभाषक अप्रार्थी श्री अशोक कासलीवाल उप.।

:–निर्णय–: दिनांक 20/3/25

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 25.03.2023 को समय 11:00 ए.एम. पर पर वास्ते निरीक्षण पक्का बन्धा एनएच–12 बायपास टोंक पर उपस्थित था, मुखबिर द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को दूरभाष पर सूचना मिलने पर वाहन संख्या आर.जे. 08 सीबी 1567 मारूति ईको स्टार ग्रे कलर जो कि चोथ का बरवाडा की ओर से टोंक की तरफ आ रही थी, को रूकवाकर पूछताछ करने पर उक्त वाहन में श्री जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन उपस्थित मिला, को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री रतन लाल जैन ने स्वयं को मैसर्स रतन लाल जितेन्द्र कुमार जैन मेन बाजार चौथ का बरवाड़ा जिला सवाईमाधोपुर का एफ.बी.ओ. होना स्वीकार किया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर नहीं दिखाया एवं बाद में मोबाईल पर मंगवाकर दिखाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय करने हेतु उक्त वाहन में 15–15 किलोग्राम पैक के लगभग 10 टिन मूल, पैक पैक्ड अवस्था **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री जितेन्द्र कुमार जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री जितेन्द्र कुमार

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

जैन पुत्र श्री रतनलाल जैन व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को बताकर कि यह **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** वास्ते नमूना जांच क्रय किया जा रहा है, वाहन में 15–15 किलोग्रम पैक के लगभग 10 टिन पैक्ड अवस्था में रखे हुए थे, में से एक टिन खोलकर 800 ग्राम **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** जिसके बैच नम्बर बी–238 एवं पैकिंग की दिनांक 03/2023 थी, ज्यों का त्यों नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** 800 ग्राम को प्लास्टिक की साफ व सूखीं शिशियों में अलग–अलग प्रत्येक शिशी में 200–200 ग्राम भरकर बराबर–बराबर नियमानुसार चार भाग तैयार किये एवं चारों नमूना भागों के लिए चार लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं कमांक आई–3543 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–3543 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार कीऔर प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक राज्य केन्द्रीय जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/1807 दिनांक 17.04.2023 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त जांच रिर्पोट सं.एलएस/1091/एक्ट/2023/1123 दिनांक 04.04.2023 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **घी(कृष्णा ब्राण्ड)** खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के अनुसार **अवमानक (Sub-Standard)**व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 के रेगुलेशन नंम्बर नं0 2.3.7(2) के अनुसार **कॉन्ट्रावेन** (contravene) व खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के अनुसार **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से उनके अभिभाषक श्री अशोक कासलीवाल उपस्थित हुए एवं बहस की तथा बहस में निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ में किसी तरह की मिलावट/दोष नहीं है तथा यह खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानकों को पूरा करता है। उक्त खाद्य पदार्थ निर्माता

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

फर्म से क्रय कर विक्रय किया जा रहा था परन्तु निर्माता फर्म ने अप्रार्थी को वारन्टी बिल नहीं दिया। अतः प्रकरण का न्यूनतम शास्ति के साथ निस्तारण किया जावें।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थी जिस **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** काविक्रय कर रहे थे वह जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन(contravene)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 51, 52 व 58 (सहपठित धारा 49) में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थी को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने अभिभाषक अप्रार्थी एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **घी (कृष्णा ब्राण्ड)** का नमूना जांच में **अवमानक (Sub-Standard)** व **कॉन्ट्रावेन (contravene)** व **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26(2) की उप धारा (ii)के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 51,52 व 58 (सहपठित धारा 49) के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी पर कुल शास्ति रूपये 1,00,000/–(अक्षरे एक लाख रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 20/3/25 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

(रामरतन सींकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक–राज0